

नोटिस


(**Re-engagement Policy** के अन्तर्गत आवश्यक सूचना)

यादी क्रमांक 1/1-2018 ए0सी0डी0 (8)

दिनांक 06.04.2018

ERTS पोर्टल के सामयिक आवश्यकतानुसार बन्द होने के उपरान्त भी यदि किसी रिटायरी ने विद्यालय में Manually कार्यभार संभाला है तो स्कूल प्राचार्य/प्रभारी उन्हें तुरन्त प्रभाव से कार्यभार मुक्त करें क्योंकि उनकी Joining / Relieving को NIL माना जाएगा। कुछ समय उपरान्त ERTS पोर्टल के अपडेट होने के पश्चात ही नए सत्र के लिए पुनः रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाए जाएंगे एवं उसके पश्चात ही उनकी Joining मान्य होगी।

यदि इस सूचना के उपरान्त भी इस नोटिस की अनुपालना नहीं होती है तो स्कूल प्रभारी/प्राचार्य इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।


सहायक निदेशक शैक्षणिकं
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा
हरियाणा पंचकूला